

वृद्ध कलाकारों को पेंशन और चकित्सा सहायता

प्रिलमिंस के लिये:

वृद्ध कलाकारों को पेंशन और चकित्सा सहायता हेतु योजनाएँ

मैन्स के लिये:

भारत में वृद्ध कलाकारों से संबंधित योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृतमंत्रालय (Ministry of Culture) द्वारा वृद्ध लोक कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु “कलाकारों के लिये पेंशन और चकित्सा सहायता के लिये योजना” नामक योजना प्रारंभ की गई।

प्रमुख बिंदु:

- संस्कृतमंत्रालय ने “कलाकारों के लिये पेंशन और चकित्सा सहायता के लिये योजना” वृद्ध लोक कलाकारों और वदिवानों जनिहोंने कला, पत्र आदि क्षेत्रों में अपना वशिष्ट योगदान दिया है तथा गरीबी की स्थिति में हैं, की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु यह योजना कार्यान्वयित की गई।
- नाटककार भी इस योजना के पात्र हैं।
- प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम प्रति माह 4000/- रूपए दिया जाएगा, जिसमें से न्यूनतम 500/- रूपए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता शामिल है।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता को लाभार्थी के पति/पत्नी के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार के अनुरोध हेतु लाभार्थी के पति/पत्नी द्वारा मंत्रालय में मृत्यु की तारीख से छह माह के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

आदवासियों की भाषाओं, लोक नृत्य, कला और संस्कृत को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने हेतु योजनाएँ

:

- प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को पुरस्कार (Award to Young Talented Artists):** “युवा प्रतिभाशाली कलाकार” योजना विशेष रूप से दुर्लभ कला के क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और पहचान दिलाने हेतु शुरू किया गया है जिसमें 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को चुनकर 10,000/- रूपए नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।
- गुरु शिष्य परम्परा (Guru Shishya Parampara):** यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिये हमारी मूल्यवान परंपराओं को प्रसारित करने की प्रकल्पना करती है एवं शिष्यों को कला के उन स्वरूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो दुर्लभ और लुप्त हैं। क्षेत्र के दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला की पहचान तथा गुरुकुलों की परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये प्रख्यात प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है। गुरु को 7500/- रूपए, सहयोगी को 3,750/- रूपए और शिष्य को 1,500/- रूपए मासिक पारिश्रमिक के तौर पर छह महीने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधिकत दिये जाएंगे।
- रंगमंच कायाकल्प (Theatre Rejuvenation):** स्टेज शो और प्रोडक्शन आधारित वर्कशॉप सहित थिएटर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये TA और DA को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रूपए का भुगतान किया जाता है एवं समूहों ने अपनी साख के साथ-साथ उनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना की योग्यता के आधार पर अंतिम रूप दिया।
- अनुसंधान और प्रलेखन (Research & Documentation):** संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललित कला इत्यादि लोक, जनजातीय और शास्त्रीय क्षेत्रों में लुप्त हो रहे दृश्य और प्रदर्शन कला रूपों को बढ़ावा देने तथा प्रचारित करने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया।
- शिल्पग्राम (Shilpgram):** ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों को डिजाइन के विकास और विपणन सहायता हेतु संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों का आयोजन करके क्षेत्र की लोक, आदवासी कला एवं शिल्प को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।
- ऑक्टव (सप्तक) (Octave):** उत्तर पूर्व क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक वरिसत को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने हेतु (जिसमें आठ राज्य हैं-अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मजोरम, सकिक्मि, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं) इस पहल को प्रारंभ किया गया।

- **राष्ट्रीय सांस्कृतिक वनिमिय कार्यक्रम (National Cultural Exchange Programme-NCEP):** इसे कषेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा कहा जा सकता है। इस योजना के तहत सदस्य राज्यों में प्रदर्शन कला, प्रदर्शनयिाँ, यात्रा आर्द से संबंधति वभिनिन उत्सव आयोजति किए जाते हैं। अन्य कषेत्रों/राज्यों के कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आमंत्रति कयिा जाता है। देश के अन्य हसिंसों में आयोजति होने वाले समारोहों में कलाकारों की भागीदारी के प्रावधान है। ये त्थौहार हमारे देश की वभिनिन संस्कृतयिों को जानने-समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/pension-and-medical-aid-to-old-aged-artistes>

